सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (**Government of India : Ministry of Home Affairs**)
हैदराबाद रू **Hyderabad– 500 052.**

Inter Office Note

Sub : **Notified RRs for the post of Hindi Instructor- Reg**

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Hindi Instructor is enclosed herewith for uploading the same in Academy website under "Recruitment Rules" column.

Sd/-

(S. Ajeetha Begum)
Assistant Director (Estt)

Assistant Director (IT)

19011/1/2013/Estt/RRs/Hindi Instructor/A5 Dated: /06/2020

Internal distribution:

(i) A-2 Sub-Section : For taking necessary action to fill up the vacant post.
Establishment Section

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. DFSS/38(2)/2015]

NARENDER KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2020

lk-dk-fu- 46.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद (हिन्दी अनुदेशक) भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में हिन्दी अनुदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. lf{kIr uke vkj ikjEHk

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद हिन्दी अनुदेशक भर्ती नियम, 2020 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **in l[;k] oxhZdj.k] osru eSfVDl esa Lrj.**—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **HkrhZ dh i)fr] vk;q&lhek vkj vgZrk,a vkfn.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **fujgZrk.**—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **f'kfFky djus dh 'kfDr .**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह कारण को लेखबद्ध कर तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **O;kofRr .**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

vu|lph

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती हेतु आयु–सीमा	सीधे भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
हिन्दी अनुदेशक	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर – 7 (रू. 44,900 –1,42,400/–)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं , प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	Hkrh dh i)fr ¼भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित)	ifrfu;fDr (अल्प कालिक सहित) – केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघशासित प्रदेश या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों – a) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे ; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर – 6 (रु. 35,400–1,12,400/–) या समतुल्य में पांच वर्षीय नियमित सेवा के साथ ; तथा (b) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो – (i) स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री । (ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेशों या स्वायत्त या कानून संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसन्धान संस्थान के विद्यालय/महाविधालय/विभाग संस्थान में पांच वर्षीय अध्यापक का अनुभव। okNuh; ¼ हिंदी अनुवाद कार्य में अनुभव । fVIi.k & 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य वाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। fVIi.k & 2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. 23011/59/2018–पीटी]
बी. के. सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 4th March, 2020

G.S.R. 46.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, (Hindi Instructor) post Recruitment Rules, 2002 except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hindi Instructor in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hindi Instructor Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters related to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,–

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the above said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with Union Public Service Commission, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Hindi Instructor	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-B, Gazetted, Non-Ministerial	Level- 7 (Rs. 44,900-1,42,400/-) in the pay matrix	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various method
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not Applicable	By deputation including short-term contract (ISTC).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (ISTC) : Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in Level- 6 in the pay matrix (Rs.35,400-1,12,400/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Master's Degree in Hindi from a Recognised University with English as a subject at the degree level. (ii) Five years teaching experience in Hindi at senior secondary level in a School/College/Department Institution of Central Government or Sate Government or Union Territories or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution. Desirable:- Experience in Hindi translation work. **Note 1.–** Period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2.–** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the last date of receipt of application.	Not applicable	Consultation with UPSC is not necessary

[F.No. 23011/59/2018-PT]

B. K. SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 47.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक उनका संबंध वार्ड अर्दली/स्ट्रेचर वाहक, आया, पशु परिचारक, चिकित्सा अभिलेख परिचारक, शव परीक्षण सहायक एवं परिचर्या अर्दली के पद से है, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में, हैल्पर, समूह 'घ' भर्ती नियम, 1987 से हें, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या